कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर

सर्किट हाउस के पास, जयपुर रोड़, सीकर–332001

ई–मेल uit.sikar@rajasthan.gov.in, फोन नं. 01572–245057

क्रमांकः– नविन्यास / नियमन / 2024–25 / 00713

दिनांकः– 09.01.2025

प्रेषितीः–

सुमन घासोलिया पत्नी सहदेव घासोलिया,
जाति कुमावत निवासी 82, शिवाजी नगर,
सिविल लाईन्स बाईस गोदाम जयपुर।

विषयः– राजस्व ग्राम सबलपुरा तह. सीकर ग्रामीण के खसरा नम्बर 1421 / 496 रकबा 1.8523 है. भूमि पर द्वारिका रेजीडेन्सी आवासीय योजना के अनुमोदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम सबलपुरा तह. सीकर ग्रामीण के खसरा नम्बर 1421 / 496 रकबा 1.8523 है. भूमि पर द्वारिका रेजीडेन्सी आवासीय योजना को टाउनशिप पॉलिसी 2010 की पालना सुनिश्चित करते हुए निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन विकसित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1. रेरा (RERA) में रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरान्त ही भूखण्डों का विक्रय / बेचान किया जावे।
2. योजना संलग्न अनुमोदित मानचित्रानुसार ही विज्ञ तकनिकीविद की देख–रेख में विकसित की जावेगी। सर्वप्रथम अनुमोदित प्लान अनुसार सम्पूर्ण योजना के चारों और सुरक्षा दिवार बनायी जाकर न्यास को सूचित करना होगा।
3. समस्त विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किये जाने होगें तथा नियमों की कठोरता से पालना की जानी आवश्यक है।
4. वाटर ड्रेनेज, ओवर हैड टैंक एवं सीवरेज लाईन हेतु राशि न्यास कोष में जमा करवाई गई है।
5. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार 2.00 है. तक की योजनाओं के लिए 18 माह की अवधि आन्तरिक विकास कार्यों के लिए निर्धारित है।
6. योजना का अनुमोदित मानचित्र योजनास्थल पर बड़े पटल पर प्रदर्शित करना होगा।
7. भू–खण्डों का सीमांकन किया जाकर भू–खण्ड संख्या अंकित किया जाना होगा।
8. योजना में वृक्षारोपण भवन विनियम 2020 के अनुसार ही किया जाना होगा।
9. आन्तरिक विकास कार्यों के एवज में 12.50 प्रतिशत (भूखण्ड संख्या 11, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 व 64 कुल भू–खण्ड–10) भू–खण्डों का न्यास के पक्ष में रहननामा सम्पादित किया गया है एवं इस आशय का एक बोर्ड भी योजना में चस्पा किया जाना आवश्यक है।
10. विकासकर्ता को सम्पूर्ण कार्य होने के उपरान्त 3 वर्ष तक Maintenance किया जाना आवश्यक होगा। (Maintenance charges may be recovered by developer from the allotees).
11. बोरिंग / ट्यूबवेल / पाईपलाईन को नियमानुसार पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण (Hand over) किया जाना होगा।
12. योजना में विद्युतिकरण का कार्य स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रूल्स के निर्धारित मापदण्डानुसार किया जाकर ए.वि.वि.एन.एल. को हस्तान्तरण किया जाना होगा।

संलग्नः– अनुमोदित योजना मानचित्र।

Signature valid
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Designation: Secretary
Date: 2025.01.10 15:40:44 IST
Reason: Approved

(जगदीश प्रसाद गौड़)
सचिव,
नगर विकास न्यास, सीकर

"DWARIKA RESIDENCY"

LAYOUT PLAN OF OF KHASRA NO. 1421/496, BEHIND BHARTI CRICKET STADIUM, SABALPURA, SIKAR
REVENUE VILL. -SABALPURA DIST. SIKAR (RAJ.)
FOR- 90A RESIDENTIAL SCHEME
APPLICANT:-SMT SUMAN GHASOLIA W/O SAHDEV GHASOLIA

URBAN IMPROVEMENT TRUST SIKAR

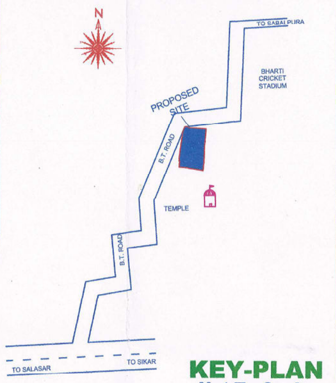

KEY-PLAN
Not To Scale

AREA ANALYSIS

S.N.	LAND USE	AREA (sq.mtr.)	%
1.	RESIDENTIAL	11173.00	60.32%
2.	INFORMAL COMMERCIAL	323.09	1.74%
3.	MOBILE TOWER	20.11	0.11 %
4.	ROAD	7006.80	37.83 %
5.	TOTAL	18523.00	100.00 %

SCHEME PLOTS DETAIL

1.	PARTICULARS	NO.
2.	RESIDENTIAL PLOTS	73
3.	INFORMAL COMMERCIAL	8
4.	MOBILE TOWER	2

- - - - (red)	SCHEME BOUNDARY
- - - -	KHASRA LINE
—— (pink)	PLOT BOUNDARY
—— (grey)	MASTER PLAN ROAD

NOTE : ALL DIMENSIONS ARE IN METER

SCALE-1 C.M. =6.0 MTR

GOOGLE MAP

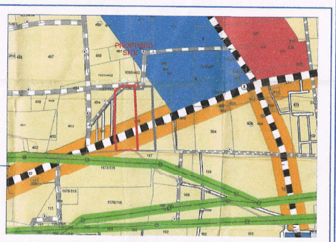

SECTOR PLAN

भूमि के आउट में ABCDEFGHI A से कुरबित क्षेत्र का रास्ता नक्शे से मिलान किया गया जो लगभग अनुरूप है

13/11/24 ILR/UIT

योजना का नाम Dwarika Residency का ले-आउट आज दिनांक 20.11.24 को लेआउट प्लान कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

20/11/24 उप नगर नियोजक नगर सुधार न्यास सीकर	20/11/24 अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यास सीकर	20-11-2024 सचिव नगर विकास न्यास, सीकर	AREA IN KH. NO. 1421/496=18523.00 SQ. MTR